कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 437/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़

शादी समारोह व बधाई गाने के नाम पर घर में चोरी करने वाली अन्तर्जनपदीय महिला चोर गैंग का खुलासा, 04 अभियुक्ताएँ गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास

दिनांक **01.12.2025** को वादी हरिराम प्रजापति पुत्र दलसिंगार प्रजापति निवासी मोहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह द्वारा सूचना दी गयी कि उनके घर में रखे डाइनिंग टेबल से **दो सोने के टप्स, एक सोने की चैन तथा ₹2,000/- नगद** चोरी कर लिया गया है।

उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 378/2025, धारा 305 बी.एन.एस. बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण एवं गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक **02.12.2025** को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराहीगण मुखबिर की सूचना पर भैसकुर गांव की ओर पहुंचे। मौके पर चार महिलाएँ साल ओढ़े हुए पैदल जाती मिलीं, जिन्हें मुखबिर द्वारा घटना में शामिल बताया गया। महिलाओं की तलाशी लेने पर **माल-मशरूका बरामद** किया गया तथा शरीक-ए-जुर्म पाए जाने पर सभी को **भैसकुर मार्ग से समय 11:00 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण)

1. **सजबुननिशा पत्नी निजामुद्दीन**, निवासी घुटमा (दरौरा), थाना रानीपुर, जनपद मऊ
2. **रेहाना पत्नी कयामुद्दीन**, निवासी घुटमा (दरौरा), थाना रानीपुर, जनपद मऊ
3. **सजबुननिशा पत्नी मेहताब**, निवासी घुटमा (दरौरा), थाना रानीपुर, जनपद मऊ
4. **मर्जिना पत्नी जमालुद्दीन उर्फ धर्मेन्द्र**, निवासी घुटमा (दरौरा), थाना रानीपुर, जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण

1. *सजबुननिशा पत्नी निजामुद्दीन* – स्वेटर की जेब से बैगनी पर्स में **एक पीली धातु की जंजीर (750 हॉलमार्क)**
2. *रेहाना पत्नी कयामुद्दीन* – स्वेटर की जेब से लाल-सफेद पर्स में **गणेश आकृति वाले 02 सोने के टप्स (07 लडियाँ)**
3. *सजबुननिशा पत्नी मेहताब* – मटमैले पर्स से **₹550 (₹500 + ₹50)**
4. *मर्जिना पत्नी जमालुद्दीन* – भूरे पर्स से **₹510 (₹500 + ₹10)**

पूछताछ का विवरण

अभियुक्ताओं ने पूछताछ में **शादी समारोह व बधाई गाने के बहाने घरों में प्रवेश कर चोरी करने** की बात स्वीकार की तथा मुकदमा उपरोक्त में अपने जुर्म को कबूल किया।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 378/25, धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

(1) सजबुननिशा पत्नी निजामुद्दीन

- मु0अ0सं0 45/25 धारा 305(a), 317(2) बी.एन.एस., थाना रानीपुर, जनपद मऊ
- मु0अ0सं0 378/25 धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

(2) रेहाना पत्नी कयामुद्दीन

- मु0अ0सं0 378/25 धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

(3) सजबुननिशा पत्नी मेहताब

- मु0अ0सं0 378/25 धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

(4) मर्जिना पत्नी जमालुद्दीन उर्फ धर्मेन्द्र

- मु0अ0सं0 378/25 धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 **उमेश चन्द्र यादव**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 **पुनीत कुमार श्रीवास्तव**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 **पवन कुमार यादव**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
4. का0 **सुनील सिंह**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
5. का0 **त्रिलोकनाथ पाण्डेय**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
6. का0 **संदीप यादव**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
7. म0आ0 **आरती सिंह**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
8. म0आ0 **प्रीती पटेल**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – जीयनपुर, जनपद – आज़मगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज़मगढ़ पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाकर महिला का फोटो/वीडियो वायरल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास

अवगत कराना है कि पीड़िता द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर **फेक आईडी** बनाकर एक महिला का फोटो व वीडियो वायरल किया जा रहा था तथा उसके परिजनों एवं परिचितों को उक्त फेक अकाउंट से कॉल व फोटो भेजकर परेशान किया जा रहा था।
इस सम्बन्ध में **NCRP शिकायत संख्या 231102501XXXXX** दर्ज हुई।
तथ्यों के आधार पर थाना जीयनपुर पर दिनांक **01.12.2025** को
मु0अ0सं0 487/2025, धारा 67 आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध श्री अशोक कुमार तिवारी द्वारा की जा रही है।

घटना का अनावरण / गिरफ्तारी का विवरण

साइबर अपराध की रोकथाम हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में तथा **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल पर्यवेक्षण में **साइबर सेल रानी की सराय, आज़मगढ़ व थाना जीयनपुर** की संयुक्त टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं सतत प्रयासों के उपरांत अभियुक्तगण:

1. **अभिषेक गिरि पुत्र चन्द्रमा गिरि**

2. **आशीष गिरि पुत्र विकायल गिरि**,
दोनों निवासी– भुवना बुजुर्ग, थाना जीयनपुर, जनपद आज़मगढ़ को **फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिला की फोटो/वीडियो वायरल करने के अपराध में पुलिस हिरासत में लिया गया**, तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. **अभिषेक गिरि पुत्र चन्द्रमा गिरि**, निवासी भुवना बुजुर्ग, थाना जीयनपुर, जनपद आज़मगढ़
2. **आशीष गिरि पुत्र विकायल गिरि**, निवासी भुवना बुजुर्ग, थाना जीयनपुर, जनपद आज़मगढ़

पंजीकृत अभियोग / शिकायत विवरण

- **मु0अ0सं0 487/2025, धारा 67 आईटी एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आज़मगढ़**
- **साइबर शिकायत संख्या – 23110250167696 (NCRP)**

गिरफ्तारी करने वाली टीम

साइबर सेल, आज़मगढ़

1. उ0नि0 **सागर कुमार रंगु**, प्रभारी साइबर सेल, जनपद आज़मगढ़
2. का0 **राहुल सिंह**, साइबर सेल, जनपद आज़मगढ़
3. का0 **श्याम कुमार साहनी**, साइबर सेल, जनपद आज़मगढ़

थाना जीयनपुर, आज़मगढ़

4. उ0नि0 **विश्वजीत पाण्डेय**, थाना जीयनपुर
5. का0 **अजय पाठक**, थाना जीयनपुर

प्रेस नोट
थाना – साइबर सेल, जनपद आज़मगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹6,50,000/- रुपये की धनराशि पुलिस द्वारा सकुशल वापस कराई गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आज़मगढ़ **डॉ. अनिल कुमार (IPS)** के कड़े निर्देशन में तथा **अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर सेल श्री विवेक त्रिपाठी** के प्रभावी मार्गदर्शन एवं **क्षेत्राधिकारी सदर/सहायक नोडल अधिकारी साइबर सेल श्रीमती आस्था जायसवाल** के कुशल नेतृत्व में आज़मगढ़ साइबर सेल टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए साइबर ठगी की **₹6,50,000/-** की धनराशि पीड़ित के खाते में सुरक्षित वापस कराई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

➡ दिनांक **30.10.2025** को आवेदक **पनुवासी विश्वकर्मा पुत्र कुबेर विश्वकर्मा**, निवासी व्योहरा, पोस्ट-भेदौरा, थाना कप्तानगंज, आज़मगढ़ द्वारा साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके खाते से **कुल ₹6,50,000/-** की ठगी कर ली थी।

➡ पीड़ित द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर आदेशानुसार मामला **साइबर सेल आज़मगढ़** को सौंपा गया।

➡ साइबर सेल टीम द्वारा **तेज, दक्ष व तकनीकी कार्यवाही** करते हुए संबंधित बैंक **(उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक)** से लगातार समन्वय स्थापित किया गया तथा नोडल अधिकारियों व विशेषज्ञों से संपर्क कर *धनराशि को रोकते हुए पूरी रकम पीड़ित के खाते में वापस जमा कराई गई*, जो अब पीड़ित को प्राप्त हो चुकी है।

साइबर सेल की विशेष उपलब्धि

लगातार प्रयास, तकनीकी दक्षता और समय पर की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप पूरी राशि **₹6,50,000/-** सुरक्षित वापस कराई गई। मामले में *अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।*

□♂□ **पुलिस टीम**

1. **उ०नि० सागर कुमार रंगू**, प्रभारी साइबर सेल, जनपद आज़मगढ़
2. **हे०का० मुकेश कुमार भारती**, साइबर सेल
3. **हे०का० ओमप्रकाश जयसवाल**, साइबर सेल
4. **का० राहुल सिंह**, साइबर सेल
5. **का० श्याम कुमार साहनी**, साइबर सेल

□ **महत्वपूर्ण सूचना**

किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर **तुरंत**

□ **1930** पर कॉल करें

□ **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।

प्रेस नोट, दिनांक – 02.12.2025

थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अभियुक्त की अवैध संपत्ति (वाहन) किया गया कुर्क

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में एवं *जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय* के आदेश (दिनांक 27.11.2025) के अनुपालन में थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा आज 02.12.2025 को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त की अवैध संपत्ति पर कुर्की की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना कंधरापुर पर पंजीकृत मुकदमा मु0अ0सं0 76/2025 धारा 2(ख)(17)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामित **अभियुक्त – नियाजुद्दीन उर्फ मोटू पुत्र स्व0 इस्तेखार निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज, आजमगढ़** एक शातिर अपराधी एवं सक्रिय गैंग का सरगना है, जो गोवंश तस्करी व अन्य आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन अर्जित करता रहा है।

➡□अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से दिनांक 24.12.2021 को **वाहन संख्या UP50CE0582 (स्प्लेंडर प्लस)** चेसिस नं0 **MBLHAW123MHK29895** व इंजन नं0 **HA11EDMHK16279** क्रय किया गया था, जिसका मूल्य ₹45,000/- है।

➡□श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार उक्त वाहन को धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 268/2024 – धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम – थाना कंधरापुर
2. मु0अ0सं0 271/2024 – धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट – थाना कंधरापुर
3. मु0अ0सं0 13/2022 – धारा 8/20 NDPS Act – थाना बिलरियागंज
4. मु0अ0सं0 92/2015 – धारा 3/5A/8 गोवध नि. अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 4/25 आर्म्स एक्ट – थाना बिलरियागंज
5. मु0अ0सं0 298/2024 – धारा 8/20 NDPS Act – थाना बिलरियागंज
6. मु0अ0सं0 76/2025 – धारा 2(ख)/17/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट – थाना रानी की सराय

कुर्की करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह – थाना रानी की सराय, आजमगढ़
2. हे0का0 अनुज कुमार पाण्डेय – थाना रानी की सराय, आजमगढ़
3. का0 कृष्ण कुमार यादव – थाना रानी की सराय, आजमगढ़
4. का0 धीरज कुमार – थाना रानी की सराय, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 02.12.2025
थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़

ट्रक से एक्सीडेंट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना तरवां पुलिस द्वारा *मु0अ0सं0 324/2025 धारा 281, 106(1) BNS* से सम्बन्धित **गंभीर सड़क दुर्घटना** के प्रकरण में **01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया** तथा **एक ट्रक (UP67AT1327) बरामद** किया गया।
पूर्व घटना का विवरण
वादी **सीताराम यादव पुत्र लालू यादव निवासी उँचहुआ थाना तरवां** द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक **01.12.2025 को सुबह 06:20 बजे** उनका पुत्र **रोहित यादव (उम्र लगभग 22 वर्ष)** शौच हेतु जा रहा था।
उसी समय **ट्रक संख्या UP67AT1327** जो रासेपुर की ओर जा रहा था, चालक द्वारा **तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए रोहित यादव पर चढ़ा दिया**, जिससे उसकी **मौके पर मृत्यु** हो गई।
तहरीर के आधार पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रमेश सिंह द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण
दिनांक **01.12.2025** को उ0नि0 **रमेश सिंह** द्वारा घटनास्थल पर की गई पूछताछ के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि **ट्रक UP67AT1327** उँचहुआ पुल से लगभग 2 किमी रासेपुर की ओर खड़ा है।
थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहाँ पहुंचा और स्वयं को ट्रक चालक बताते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद भीड़ के भय से वह वाहन छोड़कर दूर से निगरानी कर रहा था।
गिरफ्तार अभियुक्त
सुनील यादव पुत्र स्वर्गीय केदार यादव, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना सैदपुर, जनपद गाज़ीपुर, उम्र–36 वर्ष।
अभियुक्त को समय **19:00 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त **ट्रक UP67ATXXXX** को कब्जे में लेकर थाना तरवां लाया गया।
बरामदगी

- एक अदद **ट्रक वाहन संख्या UP67AT1327**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. **उ0नि0 रमेश सिंह, थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़**
2. **का0 संदीप पटेल, थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़**

प्रेस नोट
थाना – तरवां, जनपद – आज़मगढ़
दिनांक – 02.12.2025

रोड एक्सीडेंट के बाद सड़क जाम करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण
दिनांक 01.12.2025 को उंचहुआ पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूचना पर थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय पुलिस टीम मौके पर पहुँचे।

➡ घटना के बाद गाँव व क्षेत्र के लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, शासन-प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की तथा आने-जाने वाले राहगीरों, बीमार/बुज़ुर्ग लोगों को गंभीर रुप से अवरुद्ध किया।

➡ भीड़ द्वारा पुलिस बल को धमकाया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाली गई तथा मारपीट का प्रयास किया गया। स्थिति नियंत्रण हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उपजिलाधिकारी मेहनगर, तहसीलदार मेहनगर, क्षेत्राधिकारी लालगंज, थानाध्यक्ष मेहनगर व मेहनाजपुर समेत अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया।

➡ भीड़ की वीडियोग्राफी कराते हुए कुल 13 नामजद तथा 40–50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 327/25 पंजीकृत किया गया। विवेचना व0उ0नि0 अजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 02.12.2025 को व0उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय टीम क्षेत्र में मौजूद थे। उसी दौरान

1. शिवपूजन पुत्र स्व. कल्पनाथ, निवासी उंचहुआ
2. अजय चौहान पुत्र रामसरन, निवासी विरनई

रोड जाम व उपद्रव संबंधी पूछताछ पर उत्तेजित हो गए तथा अमादा होकर पुलिस से विवाद करने लगे। दोनों के आचरण से यह प्रतीत हुआ कि यदि इन्हें तत्काल न रोका जाए तो ये गंभीर अपराध कर सकते थे।

➡ इस पर दोनों को समय 14:45 बजे, उचहुआ बाजार से, धारा 170 BNS में विधिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 327/2025 धारा 189(2), 221, 222, 224, 126(2), 132, 352, 351(3), 192, 131 BNS एवं 7 CLA Act थाना – तरवां, जनपद – आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना तरवां
2. व0उ0नि0 अजय कुमार सिंह, थाना तरवां
3. उ0नि0 रमेश सिंह, थाना तरवां
4. का0 अजय सिंह, थाना तरवां
5. का0 संदीप पटेल, थाना तरवां
6. का0 सौरभ सिंह, थाना तरवां